अध्याय - III

लेन-देन की लेखापरीक्षा

अध्याय-III

लेन-देन की लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

3.1 *निश्चित प्रभारों की गलत माफी*

कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के सम्बन्ध में ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभार माफ किये थे।

हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2009[1] में प्रावधान है कि एच.टी.[2]/ई.एच.टी.[3] आपूर्ति के मामले में जहां अनुज्ञप्तिधारक ने आवेदक को विद्युत आपूर्ति हेतु अपेक्षित कार्य पूर्ण कर लिया है लेकिन आवेदक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है अथवा विलम्ब करता है अथवा सम्पूर्ण संस्वीकृत संविदा मांग को प्राप्त नहीं करता है, वहां अनुज्ञप्तिधारक सम्बन्धित दर सूची आदेश के अनुसार, साठ दिनों के नोटिस के बाद, यथानुपात आधार पर संस्वीकृत संविदा मांग पर निश्चित मांग प्रभार प्रभारित करेगा।

एक उपभोक्ता से आवेदन तथा अनुबंध[4] की प्राप्ति (दिसम्बर 2011) पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी), ने फरवरी 2012 में 4,600 के.वी.ए. की संविदा मांग के साथ 4,600 किलोवाट हेतु विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति दी थी। कम्पनी ने अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण पूर्ण किया था (अगस्त 2012) और उपभोक्ता को आपूर्ति लेने के लिए सूचित किया था (अगस्त 2012), जिसमें विफल रहने पर सम्बन्धित दर सूची आदेश के अनुसार संस्वीकृत संविदा मांग के आधार पर निश्चित मांग प्रभार प्रभारित किये जाएंगे। उपभोक्ता ने साठ दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति प्राप्त नहीं की थी लेकिन कम्पनी द्वारा आपूर्ति कोड के प्रावधानों के अनुसार कोई यथानुपातिक निश्चित मांग प्रभार प्रभारित नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (दिसम्बर 2013) पर कम्पनी ने उपभोक्ता को आपूर्ति कोड के आधार पर निश्चित मांग प्रभारों की वसूली हेतु नोटिस जारी किया था।

उपभोक्ता ने भूमि पर निर्माण से सम्बन्धित सशस्त्र बलों के साथ उनके विवाद/अदालती मामलें जिसके कारण आपूर्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती थी, के मद्देनजर निश्चित मांग प्रभारों के उद्ग्रहण से छूट हेतु आवेदन किया था (मार्च 2015)। कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने, अनुरोध पर विचार करते हुए, नवम्बर 2015 तक वसूली योग्य ₹ 4.10 करोड़ और उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने तक वसूलनीय ₹ 8.05 लाख प्रति माह की दर पर निश्चित मांग प्रभार माफ किये (अप्रैल 2016)। उसी समय, कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से भी सम्पर्क स्थापित किया (अप्रैल 2016) और ऐसे विशेष मामलों के लिए सक्षमकारी प्रावधान को सम्मिलित कर सम्बन्धित खण्ड में संशोधन के लिए कहा। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

कम्पनी ने उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन जारी किया था (नवम्बर 2016), तब तक वसूलनीय निश्चित मांग प्रभार ₹ 5.06 करोड़ हो गये थे।

---

1 अध्याय 3 का खण्ड 3.9 ।

2 उच्च टैंशन (66 किलोवाट तक)।

3 अतिरिक्त उच्च टैंशन (132 किलोवाट तथा अधिक)।

4 स्थायी और तत्काल कनेक्शन के लिए अनुरोध।

अत: कम्पनी ने आपूर्ति कोड 2009 को लागू न करके अपने वित्तीय हितों की अनदेखी कर गलत ढंग से ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभारों को माफ किया था।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि कम्पनी हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के साथ खण्ड 3.9 के संशोधन हेतु मामले पर चर्चा कर रही है।

3.2 *सिस्टम की विफलता के कारण धोखाधड़ी का पता न चलना*

विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त मासिक लेखों की कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ अनिवार्य मैनुएल मिलान का संचालन करने अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का स्व-चालित मिलान करने हेतु इसके सिस्टमों में मॉड्यूल डिजाइन करने में विलम्ब से उपभोक्ता निधियों के अंतरण के संबंध में झूठी रसीदें उत्पन्न करने में सक्षम हुआ जिनको पकड़ा नहीं गया, परिणामत: ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (कम्पनी) के उपभोक्ता जुलाई 2008 तक अपने विद्युत बिल मात्र कैश अथवा चैक के माध्यम से जमा करा सकते थे। अगस्त 2008 में कम्पनी ने अपने उपभोक्ताओं को उनके विद्युत बिल नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फण्डस ट्रांसफर (एन.ई.एफ.टी.)/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से कम्पनी के मुख्य बैंक खाते में सीधे जमा करवाने की स्वीकृति दी। तथापि कम्पनी ने विद्युत बिलों को जमा करवाने की इस प्रणाली को स्वीकृति देते समय ऐसे मॉडयूल को डिजाइन नहीं किया था जो एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. माध्यम से प्राप्त राशि का सिस्टम में स्वचालित मिलान करता। ऐसा न होने पर प्राप्तियों का मिलान कम्पनी के बैंकिंग मैनुएल के अनुसार किया जा रहा था जिसमें प्रावधान था कि वसूली खाते हेतु बैंक मिलान विवरणी मासिक अन्तरालों पर तैयार की जानी चाहिए। उपभोक्ताओं जो अपने विद्युत बिल एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से जमा करवा रहे थे, से अनिवार्य रूप से अपेक्षित था कि वे कम्पनी के खाते में निधियों के अन्तरण के साक्ष्य के रूप में उनके बैंक द्वारा उत्सर्जित उनके संबंधित यूनीक ट्रान्जेक्शन रैफरेन्स नम्बर (यू.टी.आर.) सम्बन्धित उप-मण्डल में जमा करवायेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत उप-मण्डल, धौला कुंआ के एक उपभोक्ता[5] ने दावा किया था कि उसने मार्च 2014 से जून 2014 के दौरान फरवरी 2014 से मई 2014 का अपना ₹ 4.50 करोड़ का विद्युत बिल आर.टी.जी.एस. मोड से जमा करवाया था। उपभोक्ता ने जमा के साक्ष्य के रूप में विद्युतीय उप-मण्डल को इन लेन-देनों के पांच यू.टी.आर. प्रस्तुत किये थे। कम्पनी ने प्राप्तियों का मिलान करते समय (नवम्बर/दिसम्बर 2014) पाया कि कथित उपभोक्ता द्वारा अन्तरण का दावा की गई राशि इसके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं की गई थी और उपभोक्ता के बैंक के समक्ष मामला लाया गया था (अप्रैल 2015)। प्रत्युत्तर में (मई 2015) बैंक ने बताया कि कथित यू.टी.आर. उनके द्वारा जारी नहीं की गयी थी जिसने इंगित किया कि उपभोक्ता ने झूठी यू.टी.आर. उपलब्ध करवायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखा विंग द्वारा बैंक मिलान का संचालन करने में अनिवार्य मासिक अन्तर के स्थान पर छ: महीनों का विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप समय पर धोखाधड़ी को पकड़ा नहीं जा सका। अत: नियंत्रण प्रक्रिया अर्थात विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त लेखों का मासिक अन्तरालों पर कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ मिलान का संचालन करना, की अनुपालना के विलम्ब ने उपभोक्ता को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निधियों के अन्तरण हेतु झूठे यू.टी.आर. प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 4.50 करोड़ की हानि हुई।

[5] मैसर्ज इंडियन टैक्नोमैक कम्पनी लिमिटेड।

जून 2014 के बाद उपभोक्ता द्वारा विद्युत की कोई खपत नहीं की गयी थी और कम्पनी ने जनवरी 2015 में विद्युत आपूर्ति काट दी थी (दिसम्बर 2014)। आगे, समय-समय पर लागू दर सूची के अनुसार यदि उपभोक्ता अपना बिल देय तिथि के भीतर जमा करवाने में विफल रहता है तो ऐसे उपभोक्ताओं से स्थायी कटौती आदेश के प्रभावित होने की तिथि तक देय राशि (विद्युत शुल्क को छोड़कर) पर 2 *प्रतिशत* प्रति मास की दर पर विलम्बित भुगतान सरचार्ज वसूली योग्य है। उपर्युक्त मामले में यद्यपि झूठे यू.टी.आर. के कारण कम्पनी के खाते में भुगतान जमा नहीं हुआ था, तथापि कम्पनी दर सूची के प्रावधान के अनुसार स्थायी कटौती आदेश की तिथि तक (जनवरी 2015) चूककर्त्ता उपभोक्ता से देय ₹ 0.86 करोड़ का विलम्बित भुगतान सरचार्ज का उद्ग्रहण/वसूली नहीं कर सकी थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार उपभोक्ता ने अग्रिम खपत जमा के प्रति कम्पनी को ₹ 60 लाख की बैंक प्रतिभूतियां उपलब्ध करवायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने उनकी वैधता नहीं बढ़वायी थी और वो 14.04.2014 तथा 26.06.2014 को समाप्त हो गयी थी। अत: बैंक प्रतिभूतियों की वैधता को न बढ़वाने से कम्पनी बैंक प्रतिभूतियों को भुनाने के द्वारा ₹ 60 लाख की वसूली के अवसर से वंचित हुई।

अत: मासिक अन्तरालों पर वसूली राशि के मिलान की आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया अथवा सिस्टम में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त राशि के स्वचालित मिलान हेतु मॉडयूल बनाने की गैर-अनुपालना से उपभोक्ता को कम्पनी के साथ धोखा करने का अवसर मिला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी ने व्यपगतों के उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए कोई आन्तरिक जांच संचालित नहीं की थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2017) कि एक पुलिस शिकायत दायर की गई है और चूककर्त्ता उपभोक्ता के विरूद्ध वसूली मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। कम्पनी ने अपने उपभोक्ताओं जो अपने बिल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. माध्यम से जमा करवाने के इच्छुक हैं, अपने बिल मात्र कम्पनी की वैबसाइट के माध्यम से अथवा केन्द्रीकृत खाते के स्थान पर सम्बन्धित विद्युत उप-मंडल के सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाने का निर्देश दिया था (जून 2017)। उत्तर में बैंक प्रतिभूतियों को नवीकृत नहीं करवाने का पहलू/कारण सम्मिलित नहीं थे।

3.3 *उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण अल्प वसूली*

कम्पनी ने गलत ढंग से एक बल्क आपूर्ति उपभोक्ता को वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.76 लाख की अल्प वसूली हुई।

समय-समय पर हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची के अनुसार एक उपभोक्ता से सामान्य अथवा मिश्रित भार हेतु बल्क आपूर्ति दर प्रभारित है जहां मुख्य उपभोक्ता द्वारा विभिन्न आवासीय अथवा गैर-आवासीय भवनों को विद्युत का आगामी वितरण किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने एक उपभोक्ता के पक्ष में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, टूटी कण्डी, शिमला हेतु 650 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 650 किलोवाट की स्वीकृति दी थी जिसमें परिसरों से संचालित विभिन्न वाणिज्यिक (दूकानें/मल्टीपलेक्स/होटल), गैर-वाणिज्यिक (यूनियन कार्यालय/पुलिस पोस्ट) इकाइयों की आवश्यकतायें सम्मिलित थीं। मार्च 2012 में उपभोक्ता को बिलिंग उद्देश्य से वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत करके 11 के.वी. का कनेक्शन जारी किया

गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि स्वयं उपभोक्ता द्वारा एकल प्वाइंट/मीटर आपूर्ति से विद्युत आगे विभिन्न उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही थी। अत: लागू दर सूची के अनुसार उपभोक्ता को बल्क आपूर्ति दर के अन्तर्गत वर्गीकृत तथा प्रभारित किया जाना चाहिये था।

गलत वर्गीकरण के सामने आने (जनवरी 2014) पर कम्पनी ने उपभोक्ता से अप्रैल 2012 से जनवरी 2014 की अवधि के लिए बल्क आपूर्ति तथा वाणिज्यिक वर्ग हेतु प्रयोज्य दरों पर ₹ 15.66 लाख की अंतर राशि प्रभारित की थी (फरवरी 2014)। तथापि दर सूची उद्देश्य हेतु उपभोक्ता के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उप-मण्डल के संदर्भ (जुलाई 2014) पर कम्पनी के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने स्पष्टीकरण दिया (सितम्बर 2014) कि अगस्त 2014 से आगे मल्टीपलैक्सों को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची में वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है और विगत अवधि के लिए भी उपभोक्ता को वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत प्रभारित किया जाना चाहिए क्योंकि अन्य सभी वर्ग जो किसी अन्य दर सूची में सम्मिलित नहीं होते, वो वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत आते हैं, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उपभोक्ता एकल प्वाइंट आपूर्ति प्राप्त कर रहा था और परिसरों से परिचालित समस्त वाणिज्यिक/गैर-वाणिज्यिक स्थापनाओं की आवश्यक्ताओं की पूर्ति कर रहा था। प्राप्त सलाह के आधार पर विद्युत उप-मंडल ने पुन: उपभोक्ता का वर्ग बल्क आपूर्ति से बदलकर वाणिज्यिक वर्ग कर दिया और पहले वसूली गयी दरों पर अन्तर की राशि लौटा दी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने दर सूची के आधार पर उपभोक्ता को बल्क आपूर्ति के स्थान पर वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत करने की गलती की थी क्योंकि मुख्य उपभोक्ता बस अड्डे का संचालन कर रहा था और आगे उन्ही परिसरों में विभिन्न स्थापनाओं को विद्युत वितरण कर रहा था। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 30.76 लाख के विद्युत प्रभारों की अल्प वसूली हुई (जुलाई 2017 तक)।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि उपभोक्ता पर लागू किया गया वाणिज्यिक आपूर्ति वर्ग शॉपिंग मॉलों/मल्टीपलैक्स हेतु सही है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उपभोक्ता एकल प्वाइंट पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहा था और उन्हीं परिसरों में विभिन्न वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक स्थापनाओं को इसका वितरण कर रहा था, और, इसलिए उसको दर सूची तथा आपूर्ति कोड 2009 के आधार पर बल्क आपूर्ति उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

3.4 *विद्युत कनेक्शन को काटने में विलम्ब के कारण हानि*

कम्पनी ने एक मामले में बिल राशि के भुगतान की समय पर निगरानी नहीं की थी और अस्थायी कटौती आदेश जारी करने में 25 महीने लिये थे और तब तक उपभोक्ता से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की राशि ₹ 1.62 करोड़ तक बढ़ गई थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड[6], 2009 में प्रावधान है कि जहां उपभोक्ता देय तिथि तक अनुज्ञप्तिधारक के पास बिल राशि अथवा कोई अन्य विद्युत प्रभार जमा करवाने में विफल रहता है, वहां अनुज्ञप्तिधारक न्यूनतम पंद्रह दिनों का नोटिस देने के बाद ऐसी राशि की वसूली और/अथवा उपभोक्ता

6 हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2009 का खण्ड 7.1.2 ।

की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाही कर सकता है। यह भी कि जहां भुगतानों में चूक प्रथम देय भुगतान की तिथि से छः महीनों की अवधि तक जारी है, वहां आपूर्ति स्थायी रूप से काटी जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2017) कि एक बृहत आपूर्ति उपभोक्ता[7] जुलाई 2013 से पूर्ण बिल राशियों के भुगतान में लगातार चूक कर रहा था लेकिन कम्पनी ने सितम्बर 2015 तक 25 महीनों के लिए उपभोक्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाही आरम्भ नहीं की थी। अक्तूबर 2015 में अस्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति काट दी गई परन्तु इस समय तक चूक राशि ₹ 2.05 करोड़ तक जमा हो गयी थी। उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति स्थायी रूप से कटने (अप्रैल 2016) तक विलम्बित भुगतान सरचार्ज सहित वसूली योग्य राशि ₹ 2.22 करोड़ तक बढ़ गयी थी। कम्पनी ने विद्युत आपूर्ति को स्थायी रूप से काटने पर उपभोक्ता के ₹ 60 लाख की अग्रिम खपत जमा को समायोजित किया था। इस प्रक्रिया से ₹ 1.62 करोड़ की राशि वसूली रहित रही। अतः यदि कम्पनी ने अगस्त 2013 में जब चूक पहली बार हुई थी, अस्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति काट दी होती तथा जुलाई 2013 तक ₹ 60.81 लाख की वसूलनीय राशि के प्रति उपलब्ध अग्रिम खपत जमा में से ₹ 60 लाख की वसूली की होती, तो यह ₹ 1.62 करोड़ की परिहार्य हानि से बचा जा सकता था।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

3.5 *विद्युत प्रभारों की कम बिलिंग*

अपने बिक्री सर्कुलर की गलत प्रयोज्ता तथा एक ही परिसर में दो भिन्न कनेक्शन जारी करने के द्वारा कम्पनी ने एक उपभोक्ता पर लोअर वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख तथा एच.टी.-2 श्रेणी पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख का बिल नही लगाया था।

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने अपने बिक्री सर्कुलर (अप्रैल 2001) द्वारा अनुबद्ध किया कि जब भी एक विद्यमान उपभोक्ता एक परिसर (स्वतंत्र निर्माण/इकाई जिसकी भिन्न पहचान है) में नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन करता है, इसको स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये और उपभोक्ता से विद्यमान भार में वृद्धि/विस्तार हेतु आवेदन के लिए कहा जाना चाहिये। जब भी एक उपभोक्ता द्वारा नवीन परिसर में विद्यमान परिसर से निकालकर अथवा जुडी हुई भूमि/परिसर की खरीद द्वारा नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाता है, इसको भार में विस्तार समझा जाना चाहिये। आगे अगस्त 2014 से लागू योग्य दर सूची में वृहत औद्योगिक विद्युत आपूर्ति वर्ग के अन्तर्गत बिलिंग उद्देश्य हेतु दो नवीन उप-वर्ग (एच.टी.-1[8] तथा एच.टी.-2[9]) शुरू किये गये थे। ऐसे मामले में जहां विद्युत आपूर्ति निर्धारित मानक आपूर्ति वॉल्टेज से कम वॉल्टेज पर प्राप्त की गयी है, वहां उपभोक्ता निर्दिष्ट और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर कम वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के भुगतान हेतु दायी था।

7 मैसर्ज टी.आई. स्टील प्राईवेट लिमिटेड।

8 1000 के.वी.ए. की संविदा मांग तक के उपभोक्ता।

9 1000 के.वी.ए. की संविदा मांग से अधिक के उपभोक्ता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 880 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 1,730 किलोवाट के संयोजित भार का विद्युत कनेक्शन गांव काठा (खसरा संख्या 137 तथा 138), बद्दी, जिला सोलन में मैसर्ज जूपीटर इनोवेशन सीमित के पक्ष में विद्यमान था। मैसर्ज जूपीटर इन्टनेशनल सीमित द्वारा उसी परिसर (खसरा संख्या 137/8, 138/2 तथा 138/4) हेतु 700 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 1,500 किलोवाट के संयोजित भार से युक्त एक अन्य कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था (अगस्त 2007) जो दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था। तथापि दूसरा कनेक्शन जारी करते समय कम्पनी इस तथ्य का संज्ञान लेने में विफल रही कि मैसर्ज जूपीटर इनोवेशन सीमित जिसके नाम पर पहला कनेक्शन जारी किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के आदेशों (अगस्त 2006) के अनुसार 01 अप्रैल 2005 के प्रभाव से मैसर्ज जूपीटर इन्टरनेशनल सीमित में मिला दिया गया था। मैसर्ज जूपीटर इन्टरनेशनल सीमित को दूसरा कनेक्शन जारी करने के बाद परिसर में कुल संयोजित भार 1,580 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 3,230 किलोवाट तक बढ़ गया था और इसलिए एच.टी.-2 के रूप में वर्गीकृत किये जाने हेतु दायी था। अत: प्रथम कनेक्शन को भी मैसर्ज जूपीटर इन्टरनेशनल सीमित के नाम से तथा दूसरे को भार के विस्तार के रूप में समझा जाना चाहिये और दोनों कनेक्शन जो 11 किलोवाट पर जारी किये गये थे, 33 किलोवाट पर निर्धारित मानक आपूर्ति वॉल्टेज के अन्तर्गत जारी किये जाने चाहिये थे जिस पर दर सूची में न्यून वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज को निर्धारित किया गया है।

एक परिसर में एक ही इकाई को दो भिन्न कनेक्शन जारी करना कम्पनी के बिक्री सर्कुलर का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप कम वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख[10] की कम बिलिंग हुई तथा इसके साथ-साथ एच.टी.-2 वर्ग पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख[11] की कम बिलिंग हुई। नवम्बर 2015 के दौरान परिसर में एक विद्युत आपूर्ति कनेक्शन काट दिया गया था।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2017) कि विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 की अधिसूचना के अनुसार आपूर्ति कोड के प्रावधान 2001 में जारी बिक्री सर्कुलर पर लागू होंगे और आपूर्ति कोड 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिसम्बर 2010 के दौरान दूसरा कनेक्शन जारी किया गया था। सरकार का उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि आपूर्ति कोड एक ही परिसर में दो कनेक्शन दिए जाने के संबंध में कुछ नहीं कहता। अत: कम्पनी के बिक्री सर्कुलर के ऐसे प्रावधान भी लागू होंगे, जिन पर आपूर्ति कोड कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं करवाता।

3.6 *वित्तीय लाभ का अनाहरण*

कम्पनी ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा संशोधित वेतन तथा भत्तों के लाभ वापिस लेते हुए ब्याज के रूप में भुगतान किये गये ₹ 37.05 लाख के वित्तीय लाभ का आहरण नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी), (भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड), ने 1 जनवरी 1986 से अपने कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमान में ₹ 1800 - ₹ 3200 से ₹ 2000 - ₹ 3500 का संशोधन (जनवरी 1996) इस शर्त के साथ किया था कि वे 9 तथा 16 वर्षों के बाद

---

10 ₹ 8,52,77,592 (जनवरी 2011 से मार्च 2014 तक के विद्युत प्रभार) x 3 *प्रतिशत्* ।

11 1,422 के.वी.ए. (1,580 के.वी.ए. का 90 *प्रतिशत्*) x ₹ 150 x 16 महीने (8/14 से 11/15) - (5968900 के.वी.ए.एच. x ₹ 0.30) = ₹ 16,22,130 ।

समयबद्ध पदोन्नति पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप देय बकाया जो जनवरी 1986 से आदेशों को जारी करने की तिथि तक प्रभावित थे, सम्बन्धित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने थे।

कम्पनी ने आगे निर्णय लिया (मई 2003) कि उन सहायक अभियंताओं/सहायक अधिशाषी अभियन्ताओं/वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ताओं जो अभियन्ता संस्थान के सम्बद्ध सदस्य थे, को आरम्भ में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रूप में नियुक्ति दी जाये और इसके अनुवर्ती ए.एम.आई.ई. कोटा के प्रति सहायक अभियन्ताओं के रूप में पदोन्नत किये जायें अथवा 9/16 वर्षों की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति मान के लाभों को प्राप्त करने के उनके विकल्प को प्रयोग करते हुए 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से सीधी भर्ती के प्रति सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति दी जाये। निर्णय था कि कर्मचारी द्वारा इस विकल्प को प्रयोग करने पर सहायक अभियन्ताओं द्वारा पूर्वता प्राप्त किये गये उच्च वेतनमान के लाभ, जैसा कि ऊपर इंगित किये गये हैं, वापिस लिये जायेंगे। ऐसे विकल्प को प्रयोग करने का अवसर नवम्बर 2009 में पुनः खोला गया था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा में उजागर हुआ कि 48 सहायक अभियन्ताओं जो ₹ 2000 – ₹ 3500 का संशोधित वेतनमान ले रहे हैं, ने 9/16 वर्षों के बाद समयबद्ध पदोन्नति लाभ का विकल्प दिया था और 1.1.1986 से 17.1.1996 की अवधि के लिये भुगतान किये गये बकायों, जो 1996 तथा 1997 के दौरान उनके सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किये गये थे, को लौटाने पर सहमत हुए थे। कम्पनी ने 27 अभियन्ताओं को 9/16 वर्षों का लाभ स्वीकृत करने के पश्चात् भुगतान योग्य बकायों में से विगत संशोधन के लाभों का समायोजन करते हुए, सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किये गये मात्र मूलधन को ही वापिस लिया था (अक्तूबर 2010 – अगस्त 2015) लेकिन बकायों पर प्रोद्भुत ब्याज वापिस नहीं लिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 सहायक अभियन्ताओं को ₹ 37.05 लाख के ब्याज के लाभ जिसको अभ्यर्पित किये जाने की सहमति हुई थी, को वापिस न लेने के परिणामस्वरूप एक अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया जिसमें भविष्य में और वृद्धि होगी।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

3.7 *राजस्व का अनुद्ग्रहण*

विद्युत के संस्वीकृत भार की तुलना में अधिक आहरण को पकड़ने का तंत्र विद्यमान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, कि धारा 126 (1) में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण के बाद निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग में संलिप्त है, तो वह स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे उपयोग द्वारा लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य सर्वोत्तम विद्युत प्रभारों का अस्थायी रूप से निर्धारण करेगा। आगे उपर्युक्त अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (6) में प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत निर्धारण सम्बन्धित श्रेणी हेतु लागू योग्य दो गुणी टैरिफ दरों के बराबर दर पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 में संशोधन करते हुए (जून 2014) स्पष्टीकरण दिया था कि धारा 126 की आवश्यकता

नहीं होगी यदि संयोजित भार में वृद्धि संस्वीकृत संयोजित भार के 10 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक नहीं हो या अधिकतम 200 किलोवाट हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत उप-मण्डल, टाहलीवाल के अन्तर्गत दो उपभोक्ताओं ने संस्वीकृत संयोजित भार के 10 *प्रतिशत* से अधिक भार का आहरण किया था जैसा कि उनके सम्बन्धित विद्युत मीटरों पर अभिलिखित अधिकतम मांग से स्पष्ट था। अगस्त 2012 से जनवरी 2015 के दौरान इन दो उपभोक्ताओं द्वारा अधिक आहरण संस्वीकृत संयोजित भार के अतिरिक्त औसतन 32 के.वी.ए. और 216 के.वी.ए. के मध्य था। तथापि कम्पनी, दो उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के अधिक आहरण को पकड़ने में विफल रही और परिणामत: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कोई निर्धारण नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1*** में ब्यौरा दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि कम्पनी में एक संस्थागत निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं था जो उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के अधिक आहरण को पकड़ने में सहायता करता। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां उस अवधि जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, वहां ऐसी अवधि को निरीक्षण की तिथि से ठीक पहले बारह महीनों की अवधि तक सीमित किया जायेगा। चूंकि इन मामलों में अवधि निरन्तर नहीं है, 12 महीनों की अधिकतम अवधि को निरीक्षण की तिथि से कवर किया जा सकता है जो समाप्त हो चुकी है और वसूली कालातीत हो गयी है।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित

3.8 *बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित द्वारा फलों की उपार्जन/प्रसंस्करण तथा निपटान की विषयक लेखापरीक्षा*

कम्पनी को सेब जूस मिश्रण/सेब रस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि होने के अतिरिक्त बागवानों को समय पर भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

3.8.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार खराब होने वाले बागवानी उत्पादों जैसे सेब, खट्टे फलों तथा आम (फलों) के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रत्येक वर्ष उच्च आगमन अवधि के दौरान समर्थन मूल्यों हेतु बाजार हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (कम्पनी) और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ सीमित, शिमला (हिमफेड) को नामित किया है। कम्पनी प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित दरों पर उत्पादकों से फलों का उपार्जन करती है। कम्पनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने तीन फल प्रसंस्करण संयन्त्रों में प्रसंस्करण

हेतु अपेक्षित फलों की मात्रा भी रखती है और शेष को नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेच देती है। उद्ग्रहित औसत नीलामी मूल्य/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित माने गये मूल्य के आधार पर कम्पनी अपने प्रसंस्करण संयन्त्रों में प्रसंस्कृत फलों की मात्रा हेतु भुगतान करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपार्जन मूल्य तथा उद्ग्रहित मूल्य/प्रभारित माने गये मूल्य के मध्य अन्तर कम्पनी को पुनर्भुगतान योग्य है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर उत्पादकों को उपार्जन मूल्य, हिमाचल प्रदेश सरकार से इसकी प्राप्ति के बाद, भुगतान किया जाता है अथवा कम्पनी द्वारा उत्पादकों को बागवानी सम्बन्धित औजारों/सामानों की बिक्री के बदले समायोजित किया जाता है। बाजार विपणन स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संचालन प्रभार, जैसा कि समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं, कम्पनी को लौटाये जाते हैं।

कम्पनी फलों के उपार्जन हेतु उपार्जन केन्द्र खोलती है जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और इसके विपणन चैनलों के माध्यम से बिक्री हेतु फलों का इन हाउस प्रसंस्करण करती है।

बाजार हस्तक्षेप स्कीम, कम्पनी द्वारा उत्पादों के प्रसंस्करण तथा बिक्री की प्रभावशीलता तथा सक्षमता का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने 2014-17 की अवधि के दौरान शुरू की गयी गतिविधियों की समीक्षा की थी।

3.8.2 *बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत फलों का उपार्जन*

बाजार हस्तक्षेप स्कीम प्रचालन में उपार्जन लागत तथा इसके कल्पित बिक्री उद्ग्रहण में अन्तर निहित है। 31 मार्च 2017 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान उपार्जित सेबों की मात्रा तथा मूल्य और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिड़ी के रूप में जारी अन्तर निम्न **तालिका 3.1** में दिये गये हैं:

तालिका 3.1: सेबों के लिये बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी सब्सिडी का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपार्जित मात्रा (मीट्रिक टन में)	उपार्जन लागत [12]	हैंडलिंग प्रभार[13]	कुल उपार्जन लागत (3+4)	बिक्री/प्रसंस्करण मात्रा की बिक्री से आय	राज्य सरकार द्वारा जारी सब्सिड़ी (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	7,001	4.55	1.54	6.09	1.73	4.36
2015-16	20,135	13.09	4.43	17.52	7.56	9.96
2016-17	8,337	5.42	2.29	7.71	3.06	4.65
योग	**35,473**	**23.06**	**8.26**	**31.32**	**12.35**	**18.97**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा आपूरित आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेबों के लिये बाजार हस्तक्षेप स्कीम के परिणामस्वरूप 2014-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹ 18.97 करोड़ का परिव्यय हुआ। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2015-17 के दौरान संचालित सेब संग्रहण केन्द्रों की स्थापना लागत हेतु ₹ 2.16 करोड़ भी लौटाये थे।

12 वर्ष 2014-17 के दौरान सेबों का उपार्जन मूल्य ₹ 6.50 प्रति किलो था।

13 सेबों के लिए हैंडलिंग शुल्क वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 2.20 प्रति किलो एवं 2016-17 के दौरान ₹ 2.75 प्रति किलो था।

कम्पनी ने 2014-17 के दौरान बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत ₹ 13.02 लाख मूल्य के 147 मीट्रिक टन खट्टे फल (किन्नू तथा गलगल) का भी उपार्जन किया था। कम्पनी खुले बाजार में उनकी बिक्री/इसके अपने संयत्रों में प्रसंस्कृत फलों की लागत द्वारा मात्र ₹ 5.09 लाख की वसूली कर सकी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 7.93 लाख का अन्तर कम्पनी को लौटा दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2015 से आगे फसली मौसम से बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत फलों के उपार्जन हेतु नियुक्त स्टाफ की लागत लौटायी थी। तथापि कम्पनी ने 2015-17 की अवधि के दौरान खट्टे फलों के उपार्जन हेतु नियुक्त इसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार को ₹ 10.85 लाख का दावा प्रस्तुत नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.85 लाख के कम दावे हुए।

प्रबंधन ने स्वीकार किया था (जुलाई 2017) कि सरकार ने 2015 से आगे फसली मौसम से स्टाफ लागत को लौटाना आरम्भ कर दिया था। तथापि उत्तर ₹ 10.85 लाख के अल्प-दावे के संबंध में कोई सूचना नहीं देता है।

3.8.3 सेबों का अधिक खराब होना

बाजार हस्तक्षेप स्कीम गतिविधि में इवापो-परिवहन हानियों को कवर करने हेतु 2.5 *प्रतिशत* अधिक फलों के उपार्जन का कार्य शुरू किया गया है। उत्पादकों को 102.5 किलोग्राम फलों की डिलीवरी के प्रति 100 किलोग्राम फल हेतु भुगतान किया जाता है। कम्पनी ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत 35,473 मीट्रिक टन सेबों का उपार्जन किया जिसमें से 808.395 मीट्रिक टन को फल प्रसंस्करण संयन्त्रों द्वारा खराब दर्शाया गया था। 2014-17 के दौरान 2.5 *प्रतिशत* अतिरिक्त उपार्जन को छोड़ने के बाद फल प्रसंस्करण संयन्त्रों में फलों की खराबी 1.73 से 8.50 *प्रतिशत* के मध्य थी जिसका मूल्य ₹ 27.35 लाख था जो कम्पनी पर बोझ था।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जुलाई 2017) कि फलों को अवैज्ञानिक ढ़ंग से संग्रहित किया गया था और यह भी कि प्रसंस्करण संयन्त्रों तक फलों के परिवहन में विलम्ब के परिणामस्वरूप फलों की गुणवत्ता में कमी हुई। प्रबंधन के उत्तर को स्कीम के अन्तर्गत 2.5 *प्रतिशत* अधिक फलों के उपार्जन के मानदण्डों के प्रकाश में देखा जाना है जिनको सूखे के तत्वों, प्रक्रिया में विलम्ब के आधार पर हानियों से बचने के लिये बनाया गया था और इंगित की गई हानि इन घटकों पर विचार करने के बाद है।

3.8.4 उत्पादकों को भुगतान

कम्पनी हिमाचल प्रदेश सरकार से दावों की प्राप्ति के बाद बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत उपार्जित सेबों हेतु उत्पादकों को भुगतान करती है। 2014 से 2017 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 23.06 करोड़ मूल्य के 35,473 मीट्रिक टन सेबों का उपार्जन किया था।

उत्पादकों को किये गये भुगतानों का वर्षवार ब्यौरा नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: उत्पादकों के लम्बित भुगतानों का ब्यौरा

फसली समय	उपार्जित सेब (मीट्रिक टन)	हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त उपार्जन लागत	उत्पादकों को किया गया भुगतान	भुगतान जो अभी किया जाना है (अप्रैल 2017)	हिमाचल प्रदेश सरकार से भुगतान प्राप्ति का महीना
		(₹ लाख में)			
2014	7,001	455.07	444.85	10.22	मार्च 2015
2015	20,135	1,308.71	1,176.37	132.34	अप्रैल 2016
2016	8,337	541.88	398.13	143.75	मार्च 2017
योग	**35,473**	**2,305.66**	**2,019.35**	**286.31**	

(स्रोत: कम्पनी द्वारा आपूरित आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी दावे जारी कर दिये थे, लेकिन कम्पनी ने उत्पादकों को ₹ 2.86 करोड़ जारी नहीं किये थे, जिससे इंगित हुआ कि कम्पनी ने इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया था।

लेखापरीक्षा ने पहले भी मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद संख्या 2.13 पर मामले को हाईलाइट किया था, जिसमें सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों पर समीति को विश्वास दिलाया था कि कम्पनी को हिमाचल प्रदेश सरकार से भुगतानों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर उत्पादकों को भुगतान जारी करने के उचित निर्देश दिये जायेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों पर समीति को दिलाया गया विश्वास क्रियान्वित नहीं किया गया था जिससे उत्पादकों को समस्या हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कम्पनी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादकों को किये गये ₹ 20.19 करोड़ के कुल भुगतान में से मात्र ₹ 0.49 करोड़ नकद रूप में जारी किये गये थे और शेष ₹ 19.70 करोड़ इसके अपने उत्पादों तथा बागवानी सम्बन्धित औजारों एवं उत्पादों के बिक्री मूल्य के प्रति समायोजित किये गये थे। 2014-17 के दौरान उत्पादकों को किये गये नकद भुगतान की प्रतिशत्ता शून्य से 13.98 के मध्य रही जबकि उसी अवधि के दौरान उत्पादों की बिक्री के प्रति समायोजित दावों की प्रतिशत्ता 73.47 से 92.24 के मध्य रही।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कम्पनी ने नकद आधार पर बिक्री हेतु और बाजार हस्तक्षेप स्कीम दावों के प्रति समायोजन हेतु स्प्रे-तेल (टी.एस.ओ./एच.एम.ओ.) तथा सेब पेकिंग सामग्री (डिब्बे/सप्रेटर/ट्रे) के लिये विभिन्न दरें निश्चित की थी। बाजार हस्तक्षेप स्कीम भुगतान के अन्तर्गत आपूरित सामग्री हेतु प्रभारित दरों की तुलना में नकद बिक्री की दरें कम थी। सात[14] ब्रांच कार्यालयों में कम्पनी नकद बिक्री हेतु निश्चित दरों की तुलना में उच्च दरों पर स्प्रे-तेल तथा प्रसंस्करण सामग्री की बिक्री द्वारा उत्पादकों से ₹ 25.39 लाख अधिक समायोजित किए थे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2017) कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप भुगतानों में विलम्ब हुआ। तथापि उत्तर उत्पादकों के देयों का भुगतान सामग्री के रूप में करने और वो भी नकद बिक्री हेतु निर्धारित दरों की तुलना में उच्च दरों पर, के पहलू को कवर नहीं करता था।

3.8.5 सेब जूस/गाढ़े जूस की कम उत्पादकता

कंपनी के पास परवाणू और जरोल में फल प्रसंस्करण के दो कारखाने हैं। जरोल के फल प्रसंस्करण कारखाने में एक किलोग्राम सेब से 650 मिलीलीटर सेब जूस निकालने का मानक निर्धारित हुआ। परन्तु एक किलोग्राम सेब के प्रसंस्करण से 568 से 604 बीच जूस निकला जिससे 2014-17 के दौरान सेब जूस की 14034 लीटर कम उत्पादकता के रूप में परिवर्तित हुई जो कि ₹ 6.31 लाख के समतुल्य है।

एक किलोग्राम गाढ़े सेब जूस के उत्पादन के लिए फल प्रसंस्करण कारखाना परवाणू व जरोल में क्रमश: 9.5 किलोग्राम से 10.5 किलोग्राम तथा 11.5 किलोग्राम से 12.5 किलोग्राम सेब मानक के रूप में निर्धारित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फल प्रसंस्करण संयंत्र, परवाणू ने 1,243 मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस उत्पादन के लिए 13,780 मीट्रिक टन सेब का प्रसंस्करण किया था। 732 मीट्रिक टन सेब

[14] भूंतर, रोहडू, चौपाल, जुब्बल, टूटूपानी, गुम्मा, और ओड़ी ।

की खपत अधिक हुई जबकि जरोल संयंत्र में 140 मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस के उत्पादन के लिए मानक की तुलना में 33 मीट्रिक टन सेब की अधिक खपत हुई। इसके परिणामस्वरूप 2014-17 की अवधि के दौरान ₹ 0.82 करोड़ मूल्य के गाढ़े सेब जूस का कम निष्कर्षण हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि पुरानी मशीनरी, 72^0 ब्रिक्स पर गाढ़े सेब जूस के प्रसंस्करण व उपलब्ध प्रसंस्करण ग्रेड सेब की कम गुणवत्ता के कारण उत्पादकता घटी।

(i) मानक से अधिक लेमिनेट पेपर का उपयोग

टेट्रा पैक में लेमिनेट पेपर के उपयोग के लिए क्षय मानक 2.50 *प्रतिशत* निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-17 के दौरान फल प्रसंस्करण संयंत्र, परवाणू में वास्तविक क्षय निर्धारित मानक क्षय (2.5 *प्रतिशत*) से 1.67 से 4.85 *प्रतिशत* तक अधिक था जोकि 2013-14 और 2015-17 में ₹ 16.49 लाख के समतुल्य था। 2014-15 के दौरान क्षय, मानकों के अंतर्गत था।

दक्ष तकनीकी/पर्यवेक्षी कर्मचारियों की कमी और पैक होने वाले उत्पादों के प्रकारों में बार-बार बदलाव के कारण अधिक क्षय हुआ जिसके लिए क्लीन -इन-प्लेस प्रक्रिया अपेक्षित थी तथा जिसकी सफाई में हर बार टेट्रा पैक के 175 पाउच से अधिक के समतुल्य क्षय सम्मिलित है।

प्रबंधन ने स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2017) कि यांत्रिक त्रुटियों व संयंत्रों में उत्पाद मिश्रण में बार-बार बदलावों के कारण क्षय बढ़ता है।

(ii) ईंधन की अधिक खपत

कंपनी ने सितंबर 2014 में तेल का अधिक मूल्य बताकर परवाणू स्थित अपने दो में से एक ऑयल फायरड बॉयलर को वुड फायरड बॉयलर से बदल दिया।

कंपनी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस के निष्कर्षण व टेट्रा पैक के 4,000 ट्रे की पैकिंग के लिए क्रमश: 440 व 1,300 लीटर फरनेस तेल की आवश्यकता थी। कंपनी ने अपने वुड फायरड बायलर में वुड ब्रिकेटों की खपत के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया था। तथापि, कंपनी द्वारा वुड फायरड बॉयलर खरीदते समय किए गए लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार एक लीटर फरनेस तेल के प्रति 3.08 किलोग्राम वुड ब्रिकेटों की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फल प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए दक्ष पर्यवेक्षी/तकनीकी कर्मचारियों की कमी, फल प्रसंस्करण संयंत्र व टेट्रा पैक मशीन को चलाने के लिए बायलर द्वारा अनुरक्षित भाप दाब के अपर्याप्त उपयोग के कारण गाढ़े सेब जूस के निष्कर्षण एवं पैकिंग के लिए उपयोग किए गए फरनेस तेल व ब्रिकेटों की खपत कंपनी द्वारा निर्धारित मानक से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़ के समतुल्य ईंधन की अधिक खपत हुई (***परिशिष्ट-3.2***)

प्रबंधन ने स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उत्पादक कर्मचारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

3.8.6 गुणवत्ता नियंत्रण

कंपनी ने अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कोई नीति सूत्रबद्ध नहीं की। चूंकि कंपनी के उत्पाद नश्वर प्रकृति के हैं इसलिए कम्पनी को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्रथम आवक-प्रथम जावक की नीति अपनानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2017 तक, फरवरी 2014 से अक्तूबर 2014 के मध्य फल प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा उत्पादित ₹ 35.50 लाख[15] मूल्य का ऑरेंज पल्प व गाढ़ा सेब जूस विगत 29 से 37 महीनों तक विक्रयहीन पड़ा रहा। चूंकि उत्पाद नश्वर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए विक्रयहीन भंडार के उपयोग की अवधि समाप्त हो गई तथा यह मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.50 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने मामले को स्वीकार किया (जुलाई 2017)।

3.8.7 विपणन में कमियां

कंपनी में कोई विपणन नीति सूत्रबद्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए किसी सक्रिय विपणन युक्ति का अनुसरण नहीं किया था।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि मार्च 2017 के दौरान एक नवीन विपणन नीति अनुमोदित की है।

वितरक की निष्फल नियुक्ति

अपने प्रसंस्करित फल उत्पादों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खुदरा बाजार पर प्रभाव के मद्देनजर कंपनी ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मई 2013 के दौरान एकक पूर्ण वितरक[16] नियुक्त किया। संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वितरक कुल बिक्री मूल्य के 10 *प्रतिशत* की दर से कमीशन का हकदार था। वितरक के लिए ₹ 4 करोड़ प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने वर्षों से अपने पूर्व स्थापित कियोस्कों/विक्रताओं के नेटवर्क के माध्यम से 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.75 करोड़ से ₹ 4.31 करोड़ की बिक्री की तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31 मार्च 2013 तक 71 कियोस्क/विक्रेता थे। वितरक ने कंपनी के वितरण नेटवर्क का उपयोग किया और इसमें आगे वृद्धि नहीं की। वितरक मई 2017 तक समाप्त विगत चार वर्षों के दौरान ₹ 1.12 करोड़ से ₹ 2.05 करोड़ के मध्य बिक्री कर सका। इसके अतिरिक्त, वितरक की नियुक्ति के पश्चात् दिल्ली कार्यालय में तैनात कर्मचारियों में कमी नहीं की गई और वितरक ने कंपनी परिसर को अपने बिक्री कार्यालय के रूप में भी उपयोग किया।

अत:, वितरक की नियुक्ति के बावजूद कंपनी उत्पादों की बिक्री घटी, फिर भी कंपनी को संविदा की शर्तों अनुसार ₹ 84.37 लाख कमीशन वितरक को देना पड़ा जबकि वितरक की नियुक्ति से पहले कंपनी की बिक्री अधिक थी तथा यह कोई बिक्री कमीशन भी नहीं दे रही थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि की वितरक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में संपूर्ण बिक्री वितरक के माध्यम से की जानी थी तथा वितरक के लिए जून से आरंभ होकर मई तक ₹ 4 करोड़[17] प्रतिवर्ष बिक्री लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनुबंध के अन्तर्गत शर्तों के उल्लंघन के

---

15 ₹11.50 लाख मूल्य का 48 मीट्रिक टन ऑरेंज पल्प तथा ₹ 24.00 लाख मूल्य का 20 मीट्रिक टन गाढ़ा सेब जूस ।

16 ग्लेशियर मार्केटिंग नेटवर्क (जी एम एन), दिल्ली।

17 कियोस्क बिक्री के लिए ₹ 1.25 करोड़ एवं बाजार बिक्री के लिए ₹ 2.75 करोड़।

मामले में, कंपनी को ₹ 3 लाख की निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार था। लक्ष्यों की अनुपलब्धि के बावजूद अनुबंध को उन्हीं निबंधनों व शर्तों पर अनुवर्ती वर्षों में मई 2017 तक नवीकृत किया गया और कंपनी द्वारा निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। इस प्रकार, वितरक की नियुक्ति का उद्देश्य अर्थात् अपने प्रसंस्करित फल उत्पादों की बिक्री में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खुदरा बाजार पर प्रभाव व कर्मचारी लागत में कमी, विफल रहा और कंपनी को ₹ 84.37 लाख कमीशन का परिहार्य भुगतान भी वहन करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि मामले को राज्य सरकार के पास विचार के लिए प्रेषित किया गया है।

निष्कर्ष

बाजार हस्तक्षेप स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्य में अत्यधिक फसल उत्पादन के कारण बिक्री मूल्य में गिरावट से फल उत्पादकों के हितों की रक्षा करना था। तथापि, यह लक्ष्य सीमित तरीके से प्राप्त हुआ। कंपनी ने 2014-17 के दौरान सेब उत्पादकों को देय ₹ 20.19 करोड़ में से मात्र 2.43 *प्रतिशत*- ₹ 0.49 करोड़ का नकद भुगतान किया तथा शेष के लिए उत्पादकों को कंपनी से उत्पाद खरीदने पड़े। गाढ़े सेब जूस/जूस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण कंपनी को एम0आई0एस0 के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि के अतिरिक्त उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की अनुपलब्धि हुई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

3.9 संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना

मूल अनुबंध में सम्मिलित चरणवार भुगतान सूची को अग्रवर्ती करने के बाद संविदाकार के साथ हुए पूरक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ₹ 15.54 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न करके कंपनी ने संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कंपनी) ने 100 मेगावाट की सैंज जल विद्युत परियोजना के लिए सिविल व हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य ₹ 431 करोड़ लागत पर एक फर्म[18] को दिया (जून 2010)। जिसके पूर्ण करने की नियत तिथि 01 अगस्त 2014 थी। संविदाकार को भुगतान कार्य की चरणवार पूर्णता पर किया जाना था। परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण संविदाकार ने सहमत हुए चरणवार भुगतान में संशोधन के लिए कंपनी से अनुरोध किया (अगस्त 2012)। कंपनी ने संविदाकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए संविदाकार के साथ एक पूरक अनुबंध किया (जनवरी 2013)। पूरक अनुबंध का अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है कि संविदाकार की 02 जून 2015 तक संपूर्ण कार्य पूर्ण करने में विफलता की स्थिति में, कारणों के लिए संविदाकार जिम्मेदार हो तो, संविदाकार 11 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी था, जिसकी गणना प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ब्याज प्रभारित करने के द्वारा वार्षिक दरों पर की गई थी।

[18] मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मुंबई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि चरण-वार भुगतानों से सम्बन्धित शर्त निविदा दस्तावेज में सम्मिलित की गई थी और सभी निविदाकारों ने तद्नुसार निधियों के प्रवाह पर विचार करते हुए अपनी निविदाएं प्रस्तुत की थी। अनुबंध की धारा-6 के परिच्छेद 1.3.4 के साथ पठित संविदा की सामान्य शर्तों का उप-खंड 4.12 प्रावधान करता है कि ऐसा माना जाएगा कि संविदाकार ने जोखिमों, आकस्मिकताओं व अन्य परिस्थितियां जो कार्य को प्रभावित कर सकती है, से सम्बन्धित समस्त सूचना प्राप्त कर, कार्य का सफलतापूर्वक पूर्णता में आने वाली सभी बाधाओं का अनुमान लगा लिया है। संविदाकार के कारणों जिसमें बार-बार मशीनों का बिगड़ना, अपेक्षित निर्माण सामग्री की व्यवस्था न होना तथा कार्यस्थल पर दक्ष श्रम शक्ति की कमी सम्मिलित है, से कार्य आरम्भ से ही नियत समय से पीछे था। इसलिए कार्य सौंपे जाने के 32 महीने बाद संविदाकार का भुगतान समयावधि को अग्रवर्ती करने का अनुरोध स्वीकार करना न्यायोचित नहीं था। संविदाकार भुगतान समयावधि को अग्रवर्ती करने के बाद भी निजी कारणों से सहमत तिथि जून 2015 तक कार्य पूरा नहीं कर सका। संशोधित सूची से 24 महीने की देरी के पश्चात् परियोजना 19 जून 2017 को आरम्भ हो गई। सहमत तिथि पर कार्य की अपूर्णता के मद्देनजर संविदाकार मार्च 2016 तक अग्रिम रूप में जारी ₹ 396 करोड़ की राशि पर ₹ 15.54 करोड़ ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि कंपनी को भुगतान समय को अग्रवर्ती करने के कारण अतिरिक्त ब्याज भुगतान वहन करना पड़ा, तथापि संविदाकार ने कम्पनी की लागत व व्यय पर निधियों की पूर्व प्राप्ति का लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी सहमत समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया था।

आगे, कम्पनी ने विभिन्न शर्तों जो संविदा अनुबंध की धारा-6 के परिच्छेद 1.3.4 के साथ पठित संविदा की सामान्य शर्तों के उप खण्ड 4.12 के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी, सहित विभिन्न कारणों के आधार पर समय विस्तार प्रदान किया था।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (नवम्बर 2017)।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित

3.10 परिहार्य हानि

कम्पनी ने एक अपूर्ण संचार लाईन का उपयोग किया और अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए संविदाकार को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सिमित (भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) ने एक संविदाकार[19] को काशंग से भाबा तक 220 किलोवाट डबल सर्किट संचार लाईन का निर्माण कार्य सौंपा था (जून 2005)।

संविदा की विशेष शर्त के परिच्छेद 1.19 में प्रावधान था कि संविदाकार निम्नतम कंडक्टर से न्यूनतम तकनीकी ग्राउंड क्लीयरेंस व साइड क्लीयरेंस सुनिश्चित करेगा जैसा कि संविदा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है। कम्पनी ने कार्यों के निरीक्षण के दौरान पाया (जुलाई 2009) कि विभिन्न स्थानों पर अपर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण उस चरण पर पूर्ण रेटिड क्षमता तक लाईन चार्ज नहीं की जा सकती थी तथा संविदाकार को कार्य पूर्ण करने की सलाह दी।

19 मैसर्ज ज्योती स्ट्रक्चर लिमिटिड, गुडगांव।

इसी दौरान, एक निजी जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकालने के लिए राज्य संचार उपयोगिता समन्वय समिति ने 10 सितम्बर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में लाइन को 22 किलोवाट पर चार्ज करने का निर्णय लिया तथा मई 2011 के दौरान लाइन के एक सर्किट का विद्युतीकरण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बार-बार नोटिसों (अक्तूबर 2010 तथा अप्रैल 2011) के बावजूद संविदाकार ने लाइन को इसकी 220 किलोवाट की पूर्ण रेटिड क्षमता तक चार्ज करने के विनिर्देशों के अनुसार लाइन के अपेक्षित कार्य निष्पादित नहीं किए थे क्योंकि अपेक्षित ग्राउंड/साइड क्लीयरेंसेस प्राप्त नहीं की गई थी। कम्पनी, अब लाइन का उपयोग करना शुरू कर चुकी है, आवश्यक क्लीयरेंसेस प्राप्त करने के लिए डिस्ट्रिगिंग व रिक्ट्रिगिंग कंडक्टर के साथ-साथ अर्थ वायर, कुछ टावरों को उतारने व पुन: खड़ा करने पर ₹ 0.78 करोड़ का व्यय करना पड़ा था। लाइन के उपयोग से पहले अपेक्षित क्लीयरेंसेस सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 0.78 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ क्योंकि क्लीयरेंसेस संविदा के दायरे में थी और कम्पनी को लाइन का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए था।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (अक्तूबर 2017); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2017)।

हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित

3.11 एक संविदाकार को मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान

कम्पनी ने स्वीकृति पत्र के निबंधनों व शर्तों में अनुवर्ती संशोधन के द्वारा एक संविदाकार को ₹ 49.87 लाख मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान किया।

हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम (कम्पनी) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "जिला मण्डी में पैकेज 02 सड़कों के अनुरक्षण के लिए आउटपुट व निष्पादन आधारित सड़क संविदा" कार्य के निष्पादन के लिए कार्यान्वन अभिकरण था। परियोजना को लोक निर्माण विभाग के मण्डलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, मण्डी जोन (मुख्य अभियन्ता) ने इस कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार की ओर से निविदा आमंत्रित की थी (नवम्बर 2013)। धारा-। (बोलीकर्त्ताओं को निर्देश) का खंड 14.7 अनुबद्ध करता है कि मूल्य सभी शुल्कों, करों व अन्य उगाही को मिलाकर उद्धृत करने थे। संविदा अधिनिर्णय से पहले 19 जुलाई 2014 को मुख्य अभियन्ता, (मण्डी जोन) के कार्यालय में एक पूर्व-अधिनिर्णय बैठक आयोजित हुई थी जिसमें संविदाकार सभी करों सहित ₹ 38.33 करोड़ में कार्य के निष्पादन हेतु सहमत हुआ था। पूर्व अधिनिर्णय बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार कार्य निष्पादन हेतु संविदाकार की तैयारी के संबंध में उससे एक शपथ-पत्र प्राप्त करने के बाद (29 अगस्त 2014) मुख्य अभियंता ने स्वीकृति पत्र जारी किया (02 सितम्बर 2014) जिसमें इंगित था कि अंतिम रूप प्राप्त दरों में समस्त कर सम्मिलित है, और तद्नुसार सभी करों से युक्त ₹ 38.33 करोड़ में सम्पूर्ण कार्य को निष्पादन के लिए संविदाकार व राज्य सरकार के मध्य एक संविदा अनुबंध हुआ (31 अक्तूबर 2014)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2016) कि निविदा डाटा शीट के खंड आई0टी0बी0 14.7 तथा संविदा की विशेष शर्तों के अन्तर्गत खंड 52.1, 52.4 तथा 52.4.1 में दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर संविदाकार ने राज्य सरकार से मूल्य वर्द्धित कर के भुगतान की मांग की (फरवरी 2015)। इसके प्रत्युत्तर में मुख्य अभियन्ता ने सितम्बर 2014 में संविदाकार को जारी स्वीकृति पत्र में "संविदाकार द्वारा भुगतान

योग्य सभी शुल्क, कर व अन्य उगाहियां सम्मिलित" शब्दों को बदलकर "संविदाकार द्वारा भुगतान योग्य सभी शुल्क, कर (मूल्य वर्द्धित कर के अतिरिक्त) व अन्य उगाही सम्मिलित" करके एक शुद्धि पत्र जारी (मई 2015) किया। जारी संशोधन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी (नवम्बर 2002) दिशा-निर्देशों के विपरीत था जो बताता है कि भुगतान शर्तें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए तथा संविदा के अधिनिर्णय के पश्चात् इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति पत्र अक्तूबर 2014 में किए गए संविदा अनुबंध द्वारा अधिक्रमित हो गया था जिसमें संशोधन नहीं किया गया है और स्वीकृति पत्र (अनुबंध का अनुलग्नक) तथा संविदा के खण्ड में अन्तर की स्थिति में बाद वाला प्रचलन में रहेगा। आगे, संविदा अनुबंध के निष्पादन के पश्चात् स्वीकृति पत्र के निबंधन एवं शर्तों में संशोधन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत था तथा संविदा अनुबंध में संशोधन के बिना इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है जो न केवल बाध्यता थी अपितु विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी था ।

कम्पनी ने संविदाकार को संविदा अनुबंध में सहमत दरों के अनुसार भुगतान जारी करने, जो कि दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी तथा विधि द्वारा प्रवर्तनीय था, के स्थान पर सहमत दरों से अधिक मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप, संविदाकार को ₹ 49.87 लाख[20] (कम्पनी द्वारा ₹ 35.15 लाख व लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 14.72 लाख) मूल्य वर्द्धित कर का अतिरिक्त भुगतान हुआ। कम्पनी ने जून 2016 तक भुगतान जारी कर दिये थे और इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा संस्वीकृत निधियों के समाप्त होने के बाद, शेष कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतान किया जा रहा था।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (मई 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित

3.12 रेलवे टिकट की बुकिंग पर सेवा प्रभारों की अवसूली के कारण नुकसान

यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों के सशक्तीकरण के लिए अनुबंध करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं से सेवा प्रभारों की वसूली के लिए निबंधनों व शर्तों को परिभाषित करने में कम्पनी की विफलता से ₹ 18.87 लाख की हानि हुई।

उत्तर रेलवे ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध (नवम्बर 2005) पर दूर-दराज भाग के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू व मण्डी में दो नान-रेलहेड यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्र खोले। राज्य सरकार ने प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) के परामर्श से यात्री आरक्षण प्रणाली उपकरण के साथ बुकिंग काउन्टर, फर्नीचर व उपकरण रखने के लिए नि:शुल्क जगह देने की सहमति (नवम्बर 2005) दी। इन यात्री आरक्षण प्रणाली के संचालन के लिए श्रम शक्ति भी कम्पनी द्वारा प्रदान की जानी थी। तथापि, इस यात्री आरक्षण प्रणाली के संचालन के लिए सेवा प्रभार विनियमन हेतु निबंधनों व शर्तों को परिभाषित करने वाला कोई अनुबंध नहीं हुआ। कम्पनी ने टिकटों की बुकिंग से आने वाला नकद समय-समय पर रेलवे प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया था। रेलवे प्राधिकारियों के साथ कोई अनुबंध न होने से, यह सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता से कोई सेवा प्रभार वसूल नहीं किए गए।

[20] कम्पनी द्वारा जून 2015 व जून 2016 के मध्य (14वें रनिंग बिल तक) ₹ 35.15 लाख दिया गया तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा (20वें रनिंग बिल तक) ₹ 14.72 लाख दिया गया।

मई 2016 में राज्य सरकार के माध्यम से कम्पनी ने रेलवे प्राधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा की। इसके प्रत्युत्तर में, मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक, उत्तर रेलवे ने कम्पनी को सूचित किया (जुलाई 2016) कि ग्राहकों से द्वितीय श्रेणी स्लीपर टिकट की बुकिंग के लिए ₹ 15, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए ₹ 20 तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित व प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 30 की दर पर सेवा प्रभार का उद्ग्रहण किया जा सकता है जैसा कि सितम्बर 2007 में डाक प्राधिकारियों को स्वीकृत था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया (मार्च 2016) कि कम्पनी ने सितम्बर 2007 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणी की ₹ 11.98 करोड़ मूल्य की 1,25,800 टिकटें बुक की थीं। चूंकि कम्पनी ने श्रेणी-वार टिकटों की बिक्री से सम्बन्धित कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया था, इसलिए 1,25,800 टिकटों की बुकिंग पर वसूल न किए गए सेवा प्रभारों की वास्तविक हानि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, द्वितीय श्रेणी स्लीपर की टिकट बुकिंग के लिए लागू ₹ 15 सेवा प्रभार की न्यूनतम दर को मानते हुए जैसा कि डाक प्राधिकारियों को स्वीकृत है, 1,25,800 टिकटों पर सेवा प्रभारों की अवसूली के कारण ₹ 18.87 लाख की कुल हानि हुई।

इस प्रकार, इन यात्री आरक्षण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुबंध करने में कम्पनी की विफलता के साथ-साथ इसके वित्तीय हितों की सुरक्षा के बिना यात्री आरक्षण प्रणाली का संचालन को जारी रखने से ₹ 18.87 लाख राजस्व का नुकसान हुआ। कम्पनी में आगे इस आधार पर राजस्व हानि जारी रही क्योंकि सेवा प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारियों की सलाह, जो कम्पनी को दी गयी थी (जुलाई 2016), अब तक (अप्रैल 2017) उपेक्षित रही।

सरकार का उत्तर (अक्तूबर 2017) इस परिप्रेक्ष्य में मुद्दे पर प्रकाश नहीं डालता।

3.13 किराए के संशोधन में विलम्ब

दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर चलने वाली लक्जरी वातानुकूलित बसों के किराए के संशोधन में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 0.98 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) ने दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्गों पर कांट्रैक्ट कैरियर के रूप में अपनी लक्जरी वातानुकूलित बस सेवाओं का परिचालन कर रही है। ये दो बस मार्ग हरियाणा क्षेत्र में क्रमश: 211 व 189 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। प्रति यात्री/किलोमीटर किराया यात्रा की दूरी, देय करों तथा अन्य उपरिव्यय के मद्देनजर निर्धारित किया जाता है। कम्पनी ने प्रायोज्य बस किराया परिवहन विभाग तथा विनिर्दिष्ट दरों (अगस्त 2013) पर सड़क कर आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा के पास जमा करवाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि (दिसम्बर 2016) कि हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त 2013 से लक्जरी वातानुकूलित बसों का प्रति किलोमीटर बस किराया बढ़ाकर ₹ 1.08 से ₹ 1.88 कर दिया। इसके मद्देनजर कंपनी से दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर हरियाणा भाग से सम्बन्धित अपने लक्जरी वातानुकूलित बस किराए में संशोधन अपेक्षित था। हरियाणा सरकार द्वारा किराए में इस वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रति टिकट कुल प्रभाव क्रमश: ₹ 168.50 व ₹ 151.20 है। तथापि कम्पनी ने 30 सितम्बर 2014 तक उपर्युक्त दो मार्गों पर पर्यटकों से प्रभारित किए जा रहे कुल किराए में इस वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं दिया। कम्पनी द्वारा इस

आधार पर 1 अक्तूबर 2014 मात्र से लक्जरी वातानुकुलित बसों के लिए किराए में संशोधन किया गया। सितम्बर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान कम्पनी की लक्जरी वातानुकूलित बसों में 61,730 पर्यटकों (शिमला-दिल्ली-शिमला: 25,968 व दिल्ली-मनाली-दिल्ली: 35,762) ने यात्रा की।

इस प्रकार, हरियाणा क्षेत्र के लिए बस किराए में वृद्धि में विलंब के कारण कम्पनी 61,730 पर्यटकों जिन्होंने सितम्बर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान कम्पनी की लक्जरी वातानुकूलित बसों में यात्रा की थी, ₹ 0.98 करोड़ के अतिरिक्त संभावित राजस्व का उद्ग्रहण नहीं कर सकी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे नवम्बर 2017)।

(कुलवन्त सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक : 12 मार्च 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 14 मार्च 2018